

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

3

अपील संख्या 12/32/2022

रजि० नं० 2022/55

प्रवेश तिथि 29.06.2022

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री रामसिंह पुत्र स्व० जयराम चौधरी  
निवासी ग्राम कांकरा बर्डोद तहसील  
बहरोड जिला अलवर।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी बहरोड।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 03.08.2022

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जरिये नोटिस क्रमांक 460 दिनांक 29.06.2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 13.07.2022 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से अपील का विन्दुवार जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 511 दिनांक 13.07.2022 व 584 दिनांक 27.07.2022 को जारी किया गया किन्तु जवाब प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड के जवाब के अभाव में अपीलार्थी द्वारा पेश अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अपील का विन्दुवार जवाब अप्राप्त होने के कारण अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अश्विनी कुमार पिपल)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)  
अलवर, (राज०)